न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 84/2013/225 आर टी ए

1. दीपचन्द जुहाराराम जाति जागिड़ ब्राहम्ण निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. सरस्वती पत्नि सीताराम जाति जागिड़ ब्राहम्ण निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

––अपीलांटस

बनाम

1. रामसिंह पुत्र मुखराम जाति जागिड़ ब्राहम्ण निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. हेतराम पुत्र मुखराम जाति जागिड़ ब्राहम्ण निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. अमीलाल पुत्र मनीराम जाति जागिड़ ब्राहम्ण निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. भूराराम पुत्र मनीराम जाति जागिड़ ब्राहम्ण निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 08.08.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी भादरा प्र0सं0 79/2013 अनवानी दीपचन्द आदि बनाम रामसिंह आदि

उपस्थित :–
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांटस
श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

निर्णय दिनांकः–09.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश कर इसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अपीलांट खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांट की तरफ से प्रस्तुत बंटवारा रूपराम के तीनो बेटो के बीच अन्य खातेदारियों के साथ होने का तथ्य दर्ज है तथा उक्त बही की लिखित से उक्त भूमि रूपराम की होना साबित है तथा उक्त दस्तावेजात दावा मे साक्ष्य होने के पश्चात साबित होना था मगर विचारण न्यायालय ने अपने आदेश मे दावा का ही निर्णय कर दिया जबकि प्रार्थना पत्र 212 आरटीए मे तीन महत्वपूर्ण बिन्दूओ को साबित करना होता है जो अपीलांट ने भलीभांति साबित किया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश करने का मुख्य

उद्देश्य यह होता है कि मूल दावा तक वाद विषयवस्तु को संरक्षित रखना तथा जो काश्तकार जहां काबिज है तथा पुराने समय से पूर्वजो की खातेदारी भूमि लगातार काश्त करता आ रहा है तो नियमानुसार उसके हक व हिस्सा मे कोई दखल अन्दाजी ना करें जिससे कोई वादग्रस्त भूमि के संबंध मे कोई विवाद ना हो मगर विचारण न्यायालय ने इन बातो पर गौर ना कर कतई विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज है। अपीलांट के पक्ष मे प्रथम दृष्टतया प्रकरण भलीभांति साबित था तथा प्रार्थना पत्र के तीनो महत्वपूर्ण बिन्दू साबित होते थे फिर भी विचारण न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा मुताबिक इस्तदुआ जारी ना कर कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावें तथा प्रार्थना पत्र सायलान/अपीलांट स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद मुताबिक इस्तदुआ गैरसायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि कभी रूपराम की खातेदारी नही रही अपितु मुखराम की नौतोड़ की हुई भूमि थी जो मुखराम के जीवनकाल तक उनके कब्जा मे रही व उनकी मुत्यु के बाद रेस्पोडेन्टस के कब्जा काश्त मे है तथा वे ही माल अदा करते है। अपीलांट का वाद भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही है ना ही उनका कभी कब्जा काश्त रहा है। अपीलांट ने ऐसा कोई रिकार्ड पेश नही किया है जिससे वाद भूमि पूर्वजो की मानी जावे। वादग्रस्त भूमि जो मुखराम के दर्ज है वह पूर्व मे पूर्वजो के नाम दर्ज रही है, के संबंध मे जमाबंदी रिकार्ड आदि प्रस्तुत नही किया गया है तथा कब उक्त भूमि पूर्वजो के नाम दर्ज थी तथा कब यह भूमि मुखराम के नाम दर्ज हो गई या मुखराम द्वारा करवाई गई, इसके संबंध मे भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो सही है। अतः अपील अपील खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी रिकार्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त भूमि मुखराम के नाम दर्ज थी और वर्तमान मे भी मुखराम के नाम से दर्ज है। अपीलांट का तर्क है कि उक्त भूमि पूर्व मे अपीलांट के दावा रूपराम के नाम दर्ज थी जो रूपराम की मृत्यु के बाद उसके तीनो पुत्रो मुखराम, जुहाराराम, रामचन्द्र को बहिस्सा बराबर विरासतन प्राप्त हुई है परन्तु मुखराम ने छिपे तौर पर अकेले अपने नाम उक्त भूमि दर्ज करवा ली। जबकि अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और ना ही दौराने अपील प्रस्तुत किया गया जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त भूमि पूर्व मे मुखराम के नाम दर्ज ना होकर उनके पूर्वज रूपराम के नाम दर्ज रही हो तथा बाद मे मुखराम द्वारा अकेले नाम अपने नाम दर्ज करवाई गई हो। प्रस्तुत रिकार्ड से भी यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि मुखराम के नाम दर्ज है तथा वर्तमान जमाबंदी मे भी वादग्रस्त भूमि मुखराम के नाम दर्ज है। सम्वत 2000 से भूमि लगातार आज तक मुखराम के नाम ही दर्ज चली आ रही होना साबित होता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टयां मामला अपीलांट के पक्ष मे साबित नही होता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय मे बिना किसी औचित्य एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.08.2013 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ